

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कमिश्नर
करेडा (भीलवाड़ा)

274/17

कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5.5

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए


वर्ष 2016 के निरन्तर जारी होकर अन्त
आती कृषि ग्रामों को उन्नत करने हेतु
महत्त्व रई है।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात्
न्यायालय का स्पष्ट अर्थित है कि
मूल वाद में स्वत्व का विचारित मेरि
के आधार पर किया जाना है जिसमें
समाप्त लगाना स्वाभाविक है।

अतः दिनांक 26.8.2016 को
जारी अन्तारिम अस्थाई निष्पत्ता
अहकाम जारी निरन्तर विपक्षीय शक्ति
विपक्षीय को आदेश उदान किया
जाते है।

पक्षावली दर्ज रजिस्टर के क्रम की
जाकर मूल वाद के साथ सोलान रईएके
में सल 25भा 2 है।

निधि आज दिनांक 29.5.18 को
शरे ईजलारु सुनाया गया।


उपखंड न्यायाधीश पदेन
सहायक कमिश्नर करेडा